सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 106/2015

बउनवान

रमा देवी पुत्री जानकीलाल पत्नि बृजमोहन उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मामण निवासी कवाई हाल निवासी रेतवाली कोटा जिला कोटा (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1— श्याम स्वरूप दत्तक पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मामण निवासी खानपुर रोड कवाई जिला बारॉ
2— पुरूषोत्तम पुत्र जानकीलाल जाति ब्राह्मामण निवासी खानपुर रोड कवाई जिला बारॉ
3— ओमस्वरूप पुत्र जानकीलाल जाति ब्राह्मामण निवासी खानपुर रोड कवाई जिला बारॉ
4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 ग्राम दीलोद हाथी तहसील अटरू अन्तर्गत धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति 1— श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांट)
2— श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक **(रेस्पो कम 1 ता 3)**
3— पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेट कम 4)**

निर्णय दिनांक 21.9.2016

अपील अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 वाके ग्राम दिलोद हाथी तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर, अपील नामान्तरकरण अन्तर्गत धारा, 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके माल ग्राम दिलोद हाथी के हाल खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर 1943/2037 क्षेत्रफल 2.96 है0, खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 1943 क्षेत्रफल 2.96 है0 के साबिक खसरा नम्बर 370 रकबा 28 बीघा 10 बीस्वा व खसरा नम्बर 372 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 56 बीघा आराजियात श्यामस्वरूप पुत्र मूलचन्द, जानकीलाल वल्द रामसुख जाति ब्राह्मामण साकिन हाथी दिलोद के नाम समभाग संयुक्त खाते दर्ज थी। यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 ता 03 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

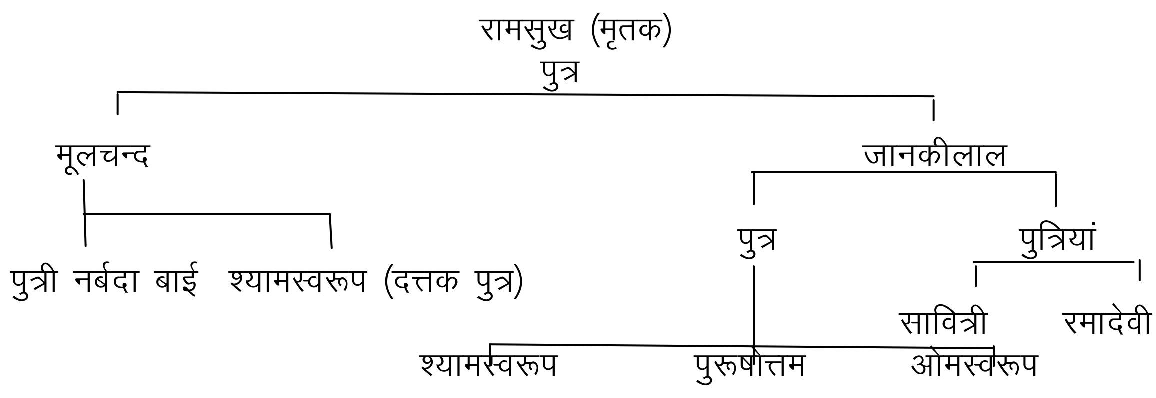

श्यामस्वरूप ताऊ मूलचन्द जी के दत्तक चला गया और श्यामस्वरूप ने अपने दत्तक पिता मूलचन्द की विरासत मे उनकी जमीन एवं जायदादें प्राप्त की। यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 के पिता जानकीलाल की निर्वसीयती मृत्यु हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 ने क्रम 04 से मिलीभगत कर मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण मे अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा नही लेने का मिथ्या एवं निराधार कथन कर फौती नामान्तरकरण संख्या 478 मे अपीलांट का नाम दाखिल खारिजा करवाकर मृतक जानकीलाल के हक हिस्से की आराजियात पर अपने नाम फौती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया, जबकि श्यामस्वरूप का मृतक जानकीलाल जी की सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नही था, क्योकि श्यामस्वरूप मूलचन्द जी के गोद चला गया था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलांट ने वाके माल ग्राम कुण्डी एवं वाके माल ग्राम हाथीदिलोद मे स्थित अपने पिता मृतक जानकीलाल की आराजियात मे अपने हक हिस्से की आराजियात का कभी भी किसी भी व्यक्ति के पक्ष मे हकत्याग नही किया। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांट की आराजियात को हडपने की नियत से योजनाबद्व षडयन्त्र रचकर अपीलांट द्वारा अपना हक हिस्सा नही लेने का मिथ्या कथन कर अपीलांट का नाम मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण संख्या 478 मे दर्ज न कर छल एवं कपट पूर्वक फौती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। इस कारण उक्त नामान्तरकरण अवैध शुन्य है।

यह कि रेस्पोडेन्टगण ने फर्जीवाडा एवं जालसाजी से मिथ्या कथन कर अपीलांट का नाम मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण से निरस्त करवा दिया, जिससे अपीलांट के विरासतन उत्तराधिकारी अधिकारों का हनन हुआ है। यह कि मृतक पिता जानकीलाल जी के हक हिस्से एवं खाते की आराजियात मे अपीलांट का रेस्पोडेन्ट के समान हक एवं हिस्सा है। जिसे अपीलांट नामान्तरकरण संख्या 478 को निरस्त करवाकर पुनः अपने नाम सहित नामान्तरकरण को तस्दीक करवाने के अधिकारिणी है।

यह कि इस वर्ष अत्यधिक ओलावृष्टि मे नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपीलांट हल्का पटवारी के पास दिनांक 5.5.2015 को नकल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने गई, तब हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारे नाम खाते मे ग्राम दिलोद हाथी मे कोई जमीन नही है। इस पर अपीलांट ने राजस्व रिकॉर्डो की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई, जानकारी उपरांत अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 478 की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की। अपीलांट को जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 ग्राम दिलोद हाथी तहसील अटरू निरस्त फरमाकर मृतक जानकीलाल के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दिनांक 1.6.2015 को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 ता 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहे है एवं रेस्पो. क्रम 4 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है। पत्रावली मे सर्व प्रथम लिमिटेशन के बिन्दु पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराया व कहा कि इस वर्ष अत्यधिक ओलावृष्टि मे नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपीलांट हल्का पटवारी के पास दिनांक 5.5.2015 को नकल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने गई, तब हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारे नाम खाते मे ग्राम दिलोद हाथी मे कोई जमीन नही है। इस पर अपीलांट ने राजस्व रिकॉर्डो की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई जानकारी उपरांत अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 478 की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की। श्यामस्वरूप ताऊ मूलचन्द जी के दत्तक चला गया और श्यामस्वरूप ने अपने दत्तक पिता मूलचन्द की विरासत मे उनकी जमीन एवं जायदादें प्राप्त की। यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 के पिता जानकीलाल की निर्वसीयती मृत्यु हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 ने रेस्पो. क्रम 04 से मिलीभगत कर मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 मे अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा नही लेने का मिथ्या एवं निराधार कथन कर फौती नामान्तरकरण संख्या 478 मे अपीलांट का नाम दाखिल खारिजा करवाकर मृतक जानकीलाल के हक हिस्से की आराजियात पर अपने नाम फौती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया, जबकि श्यामस्वरूप का मृतक जानकीलाल जी की सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नही था, क्योकि श्यामस्वरूप मूलचन्द जी के गोद चला गया था। जबकि उक्त नामान्तरकरण मे हम दोनो बहिने रमाबाई व सावित्री का नाम भी आना चाहिये था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 ग्राम दिलोद हाथी तहसील अटरू निरस्त फरमाकर मृतक जानकीलाल के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरित रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस कहा कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि उसे उक्त नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.6.1989 के खोले जाने की जानकारी दिनांक 5.5.2015 को हल्का पटवारी से हुई है। जबकि अपीलांट को दिनांक 7.6.1989 से ही उक्त नामान्तरकरण के खोले जाने की जानकारी थी ओर उक्त नामान्तरकरण केम्प मे मजले आम मे खोला गया है ओर दोनो बहिने रमा देवी एवं सावित्री ने उक्त केम्प मे ही बयान दिये गये है कि अपना हिस्सा नही लेना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे बयान संलग्न है। यदि रेस्पो. क्रम 1 ता 3 द्वारा रेस्पो. क्रम 4 से मिली भगत कर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करवाया गया है, तो अपीलांट को हमारे विरूद्व 420 का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिये था। जबकि श्यामस्वरूप मूलचन्द जी के गोद भी नही गया है ओर सावित्री को उक्त अपील मे पक्षकार भी नही बनाया गया है। लिमिटेशन हेतु भी एक—एक दिन का हिसाब दिया जाना चाहिये, जो अपीलांट द्वारा नही दिया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर अपीलांट के अभिभाषक द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी तहसील अटरू खाता संख्या नयी 571 पुरानी 560 सम्वत् 2067–70 का अवलोकन करवाया गया, जिसमे श्यामलाल दत्तक पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मामण सा. दीलोदहाथी दर्ज है।

हमने बहस उभयपक्ष अभिभाषकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील नामान्तरकरण 478 दिनांक 7.6.1989 वाके माल ग्राम दिलोद हाथी तहसील अटरू के विरूद्व 27 वर्ष बाद दिनांक 25.5.2015 को काफी विलम्ब से पेश की गई है। इसमे अपीलार्थी की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है। लापरवाह पक्षकार के प्रति नरमी का रूख नही अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक है।

न्यायिक दृष्टान्तों WLC 2012 (1) पेज 759, WLC 2012 (4) पेज 163, WLC (राज) U.C. 2000 पेज 638 तथा RLW 1978 पेज 151 मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थी अपनी अपील के प्रति सजग नही रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई 27 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते है। अतः यह धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.9.2016 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां